राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 192/2015

राम सिंह मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. जिला कलेक्टर, झुंझुनू राजस्थान।
2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, झुंझुनू राजस्थान।
3. रोहिताश कुमार मीणा, कनिष्ठ लिपिक, उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 02.03.2015
आदेश की दिनांक : 03.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वर्ष 2011–12 की रिव्यू डीपीसी में अपीलार्थी को शामिल करते हुए वरिष्ठतानुसार जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को दिनांक 01.07.2014 से दिए गए कनिष्ठ लिपिक के समान पदोन्नत किया जावे एवं समस्त परिलाभ मय शेष राशि तथा 24 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिसम्बर, 1985 में हुई थी और उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमाधारी है और कनिष्ठ लिपिक की योग्यता रखता है। उक्त डिप्लोमा अपीलार्थी ने अगस्त, 2013 में प्राप्त किया और अगस्त, 2012 में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति हेतु सूचना मांगी गई, जो समस्त सूचना अपीलार्थी द्वारा विभाग को भेजी गई और दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का

नाम 49 पर अंकित किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम 50 पर अंकित किया गया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद वर्ष 2011–12 में रिव्यू डीपीसी में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि अपीलार्थी को वंचित कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी से कई कार्मिक कनिष्ठ हैं, उन्हें भी पदोन्नति प्रदान की गई। जबकि राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी की पदोन्नति कनिष्ठ कार्मिक की तिथी से ही की जानी चाहिए, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि वर्ष 2011–12 की रिव्यू डीपीसी में अपीलार्थी को शामिल करते हुए वरिष्ठतानुसार जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को दिनांक 01.07.2014 से दिए गए कनिष्ठ लिपिक के समान पदोन्नत किया जावे एवं समस्त परिलाभ मय शेष राशि तथा 24 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किए जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.11.1997 के द्वारा निलंबित किया गया एवं दिनांक 28.02.1998 के द्वारा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण विभागीय जांच के निर्णय में चेतावनी दी गई। उसके बावजूद भी दिनांक 29.11.2008 के द्वारा चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया और नायब तहसीलदार झुंझुनू से अभ्रद एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने पर दिनांक 31.01.2013 के द्वारा निलंबित किया गया और विभागीय जांच के अंतर्गत 16 सीसीए में नियमानुसार की जाकर आदेश दिनांक 16.10.2014 के द्वारा अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया और संभागीय आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 11.02.2015 के द्वारा आदेश दिनांक 16.10.2014 के द्वारा दिए गए एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से रोका जाकर परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के कारण दण्डित किए जाने के फलस्वरूप उसे दिनांक 31.07.2013 तक की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु पात्र नहीं रखने के कारण उसके नाम पर विचार नहीं किया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि आदेश दिनांक 16.10.2014 को निरस्त करते हुए परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है और उक्त आदेश अप्रेल, 2011 के बाद का है जो पदोन्नति में बाधक नहीं है और उक्त आदेश परिनिंदा के दण्ड में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त आदेश से पदोन्नति में कोई विपरीत प्रभाव पडना प्रकट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिसम्बर, 1985 में हुई थी। अगस्त, 2012 में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति हेतु सूचना मांगी गई, जो समस्त सूचना अपीलार्थी द्वारा विभाग को भेजी गई और दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम 49 पर अंकित किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम 50 पर अंकित किया गया। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को उक्त रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किए जाने एवं अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 17.10.2012 अंतिम वरिष्ठता सूची के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का वरिष्ठता क्रमांक 49 है एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की वरिष्ठता क्रमांक 50 है। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 से वरिष्ठता में वरिष्ठ है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.10.2014 के द्वारा अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने तथा कार्यालय संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 11.02.2015 के द्वारा उक्त आदेश की पालना को रोकते हुए परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किए जाने पर अपीलार्थी को पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद पर उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध प्रदान नहीं की जा सकती। चूंकि अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। परंतु पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2011–12 के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रदान की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी की पदोन्नति पर उक्त दण्डादेश से कोई विपरीत प्रभाव पडना प्रकट नहीं होता है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति

वर्ष 2011–12 से पूर्व ऐसा कोई साक्ष्य/प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अपीलार्थी की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। उसी तिथी से अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर उसी रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जावे एवं समस्त सेवा परिलाभ आदि नियमानुसार दिए जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य